न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 569/2018

प्रार्थीगणः—

मृतक श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री बालूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गुंदोज तहसील पाली जिला पाली राजस्थान के कायम मुकामः—

1. श्रीमती जमनाकंवर बेवा श्री गोविन्दसिंह
2. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह
3. श्री हरीसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह
4. श्री छगनसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम गुंदोज तहसील पाली जिला पाली राजस्थान
5. मृतक श्री कालूसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गुंदोज तहसील पाली जिला पाली राजस्थान के कायम मुकामः—

5/1 श्रीमती भारतकंवर बेवा श्री कालूसिंह

5/2 श्री महिपालसिंह पुत्र श्री कालूसिंह उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रार्थीनी संख्या 5/1 भारतकंवर बेवा कालूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गुंदोज तहसील पाली जिला पाली राजस्थान

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. श्री बाबूसिंह पुत्र श्री बालूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गुंदोज हाल निवासी ज्योति नगर, चांदणा भाक, जोधपुर, सर्विस जनता मिष्ठान भण्डार, नई सड़क, घंटाघर रोड़, जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान
2. भूमिधारी तहसीलदार पाली तहसील पाली जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

<u>अस्थायी प्रार्थना—पत्र हस्ब दफा 212 आर.टी.एक्ट, 1955</u>

—ःआदेशः—

दिनांक 26.02.2019

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 212 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, मौजा गुंदोज हाल मौजा तोगावास तहसील पाली निस्बत प्रार्थीगण की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,91,188 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत पेश किया है

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

जिस वाद में वर्णित कथनोनुसार वाद प्रार्थीगण होने काबिल सफल के हैं। खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, मौजा गुदोज हाल मौजा तोगावास तहसील पाली में स्थित है जिस कृषि भूमि का आंवटन संवत् 2021 में भूमि आंवटन सलाहकार समिति, पाली द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज पति, पिता गोविन्दसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गुंदोज तहसील पाली को किया गया तत्पश्चात् उक्त आंवटन आदेश संवत् 2021 की पालना में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों तत्कालीन पटवारी हल्का वगैरा द्वारा उक्त आराजी का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा उक्त आंवटी गोविन्दसिंह को सुपुर्द कर उक्त आराजी का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा उक्त आंवटी गोविन्दसिंह को सुपुर्द कर उक्त आराजी खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा का गैर खातेदार जरिये म्यूटेशन संख्या 317 आदेश दिनांक 18-09-1964 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 एवं तत्पश्चात् की जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में प्रार्थीगण के पूर्वज आंवटी गोविन्दसिंह के नाम का इन्द्राज किया एवं उक्त आराजी के खातेदार गोविन्दसिंह का उक्त आंवटनशुदा खातेदारी भूमि बवक्त आंवटन संवत् 2021 के पूर्व से अपने जीवनकाल में काबिज रह काश्त करता था एवं रहा तत्पश्चात् प्रार्थीगण के पूर्वज पति, पिता खातेदार आंवटी गोविन्दसिंह का देहान्त करीब सन् 2015 में हो चुका जिस गोविन्दसिंह की मृत्यु के समय उक्त मृतक गोविन्दसिंह के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की प्रथम अनुसूची के अनुसार मृतक गोविन्दसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण बतौर बेवा पुत्रों वगैरह के प्रार्थीगण जीवित मौजूद थे, रहे एवं आज भी जीवित मौजूद है। चूंकि उक्त गोविन्दसिंह का एक जायन्दा पुत्र प्रार्थी संख्या 05 कालूसिंह था जिनका भी देहान्त हो चुका है जिस मृतक कालूसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के प्रार्थी संख्या 5/1 बतौर बेवा एवं प्रार्थी संख्या 5/2 बतौर पुत्र के जीवित मौजूद है जो प्रार्थी संख्या 5/2 नाबालिग होने से जरिये कुदरती वलिया उसकी माता प्रार्थी संख्या 5/1 की ओर से हाजा वाद प्रार्थीगण के साथ विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है जिस प्रार्थीगण का उक्त आराजी के खातेदार गोविन्दसिंह की मृत्यु करीब सन् 2015 में होने के वक्त से आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं आज भी प्रार्थीगण बतौर मृतक खातेदार गोविन्दसिंह के उत्तराधिकारीगण की हैसियत उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करते है एवं वर्तमान में उक्त आराजी में प्रार्थीगण की मौके पर वर्षा होने से ज्वार एवं ग्वार की फसल बो रखी है जो मौके पर खड़ी मौजूद है। प्रमाण में म्यूटेशन संख्या 317 आदेश दिनांक 18-09-1964 जमाबंदी संवत् 2023 से 2026, संवत् 2027 से 2030 एवं मौजूदा जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खसरा गिरदावरी संवत् 2072 से 2075 एवं नक्शा ट्रेस की नकलें साथ पेश है। खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, मौजा गुदोज हाल मौजा तोगावास, तहसील पाली की कृषि भूमि का आंवटन संवत् 2021 में भूमि आंवटन सलाहकार समिति, पाली द्वारा बहक प्रार्थीगण के पूर्वज पति, पिता गोविन्दसिंह पुत्र श्री बालुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गुंदोज को किया गया था एवं उसी वक्त राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों, पटवारी हल्का वगैरह द्वारा आंवटनसुदा आराजी खसरा नंबर 1601 के बने खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मौके पर वास्तविक भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थीगण के पूर्वज पति, पिता गोविन्दसिंह को सुपुर्द किया गया था तब से उक्त आंवटी गोविन्दसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आंवटनसुदा आराजी खसरा नंबर 1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज रह काश्त करता था एवं रहा। (जो बाद में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज के दौरान खसरा नंबर 2558/6101 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा अंकित किये गये है) भूमि आंवटन सलाहकार समिति, पाली द्वारा आंवटन आदेश संवत् 2021 के आधार पर आंवटी गोविन्दसिंह के नाम अमल-दरामद हेतु भेजे आदेश दिनांक 18-09-1964 की पालना में आंवटन के बाद वादग्रस्त आराजी का जो म्यूटेशन संख्या 317 आंवटी गोविन्दसिंह के नाम का तत्कालीन पटवारी द्वारा भरा गया तथा उक्त म्यूटेशन संख्या 317 को तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक गुंदोज ने चैक कर सही पाया गया जिसे अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार ,पाली ने आदेश दिनांक 18-09-1964 को स्वीकृत किया जिस म्यूटेशन संख्या 317 के कॉलम संख्या 11 में कृषक का नाम गोविन्दसिंह पुत्र बालूसिंह कौम रावणा राजपूत सा0 देह गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं म्यूटेशन संख्या 317 स्वीकृत करते समय वादग्रस्त भूमि का कब्जा-काश्त उक्त आंवटी गोविन्दसिंह पुत्र बालुसिंह जी का ही था जिससे म्यूटेशन संख्या 317 का प्रथम बाद अमल-दरामद जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में गोविन्दसिंह के नाम किया गया जो इन्द्राज तत्पश्चात् उक्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 तक में यथावत रहा जिस जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 की नकल साथ पेश है। परन्तु वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 के कॉलम संख्या 5 में वर्णित इन्द्राज प्रार्थीगण के पूर्वज गोविन्दसिंह पुत्र बालूसिंहजी रावणा राजपूत सा0 देह गैर खातेदार को आगे की जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 के कॉलम संख्या 05 में नियमानुसार वैसा का वैसा इन्द्राज बाबत् पुनरावृति कानूनन् की जानी चाहिये थे परन्तु राजस्व

सहायक ...
पाली (राज.)

कर्मचारियों एवं अधिकारियों एवं तत्कालीन पटवारी हल्का वगैरह द्वारा बेईमानीपूर्वक एवं अधिकारियों एवं तत्कालीन पटवारी हल्का वगैरह द्वारा बेईमानीपूर्वक जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 01 को नाजायज फायदा पंहुचाने की गरज से मिलीभगत कर वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 के कॉलम संख्या 05 में प्रार्थीगण के पूर्वज पति, पिता गोविन्दसिंह पुत्र बालूसिंह जी का नाम हटाते हुये उसके स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 बाबूसिंह पुत्र बालूसिंह रावणा राजपूत सा0 देह ऐलोटी संवत् 2028 से 2037 गैर खातेदार का शून्य आंवटन आदेश दिनांक 23–06–1971 मय उस पर आधारित गलत इन्द्राज शून्य Void ab - initio & Nunest म्यूटेशन संख्या 705 स्वीकृत अदिनांकित के जरिये खिलाफ कानून अप्रार्थी संख्या 01 के नाम प्रार्थीगण के पूर्वज गोविन्दसिंह की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया क्योंकि म्यूटेशन संख्या 705 में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज गोविन्दसिंह की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा निस्बत् कत्तई सादिर नहीं किया गया था बल्कि खसरा नंबर 2528/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा निस्बत् था। इतना ही नहीं उक्त शून्य आंवटन आदेश दिनांक 23–06–1971 मय उस पर आधारित शून्य Void ab - initio & Nunest म्यूटेशन संख्या 705 स्वीकृत के वक्त या उसके पूर्व उक्त म्यूटेशन संख्या 705 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 2528/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा मौजा गुंदोज में न तो सरकारी भूमि आंवटन हेतु उपलब्ध थी वो न आज भी है जो मौजा गुंदोज के मूल खसरा नंबर 1601 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा की साथ पेश जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 की नकल के अवलोकन मात्र से स्पष्ट रोशन वो साबित है। इन उपरोक्त वादग्रस्त आराजी निस्बत् तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदीयां में वर्णित इन्द्राजात् को अनदेखा करते हुये राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा तथाकथित खसरा नंबर 2528/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि उपलब्ध नहीं होते हुये उक्त खसरा नंबर 2528/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा का शून्य आंवटन आदेश दिनांक 23–06–1971 मय उस पर आधारित शून्य एवं Void ab - initio & Nunest म्यूटेशन संख्या 705 स्वीकृत अदिनांकित सादिर करते हुये उक्त शून्य आंवटन आदेश दिनांक 23–06–1971 मय उस पर आधारित शून्य एवं Void ab - initio & Nunest म्यूटेशन संख्या 705 प्रार्थीगण के पूर्वज गोविन्दसिंह की खातेदारी भूमि की जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 की जमाबंदी में वर्णित खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम का इन्द्राज खिलाफ कानून किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अभाव में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के किया गया है जो गलत इन्द्राज वर्तमान तक वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खिलाफ कानून चला आ रहा है जो काबिल दुरूस्ती के हटाया जाना लाजमी है एवं वादग्रस्त आराजी का खातेदार गोविन्दसिंह का देहान्त हो जाने से उसे उत्तराधिकारी प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा–काश्त बतौर खातेदार के होने से वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रार्थीगण को घोषित फरमाया जाना आवश्यक एवं लाजमी है। जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 एवं म्यूटेशन संख्या 705 की नकलें साथ पेश है। वादग्रस्त आराजी का खातेदार प्रार्थीगण का पूर्वज पति, पिता गोविन्दसिंह का सन् 2015 में देहान्त हो जाने के पश्चात् से आज दिन तक लगातार उक्त आराजी पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से मौके पर प्रार्थीगण काबिज रह काश्त करते थे, रहे एवं आज भी मौके पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 का अपने जीवनकाल में कत्तई कभी भी कोई कब्जा मौके पर न था, न रहा एवं न आज भी है। तारीख 01–07–2018 को इस वर्ष बारिश होने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण हर वर्ष की भांति मौके पर ज्वार, ग्वार की फसल की बुवाई कर रहे थे तब अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर आया एवं प्रार्थीगण को बुवाई करने से मना किया एवं वादग्रस्त आराजी से बाहर निकलने की धमकियां देने लगा एवं कहा कि आयन्दा जमीन में मत घुसना, यह जमीन राज के रेकर्ड में मेरे लनाम मैंने करवा दी है जिससे इस जमीन को दीगर व्यक्तियों को बेचाण कर दूंगा जो तुम प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर देगें एवं तुम (प्रार्थीगण) की इस वर्ष बोई ज्वार, ग्वार की फसल जो मौके पर खड़ी है को काटकर अप्रार्थी संख्या 01 ले जाने बाबत् की नाजायज खिलाफ कानून धमकियां दी है एवं मौके पर लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हुआ तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को कहा कि यह जमीन हमारी पुश्तैनी है जो प्रार्थीगण के पति, पिता गोविन्दसिंह की आंवटनसुदा खातेदारी भूमि है जिस पर हमारा कब्जा–काश्त है तुम अप्रार्थी संख्या 01 को रोकटोक दखलदांजी करने का कोई हक–हकूक नहीं है तब अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर प्रार्थीगण को आईन्दा उक्त जमीन को बेचाण कर बेदखल करने वो करवाने की खिलाफ कानून नाजायज धमकियां देते हुए चला गया। इन हालात में अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी को लेकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खिलाफ कानून गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण को उसकी पुश्तैनी भूमि को बेचाण कर बेदखल करने एवं कब्जा–काश्त में दखलंदाजी करने एवं कराने पर पूर्ण रूप से उतारू हो चुका है जिस अप्रार्थी संख्या 01 को दखलंदाजी, रोकटोक करने का कोई कानूनन हक–हकूक नहीं है तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

के पूर्वज गोविन्दसिंह की आंवटनसुदा, कब्जा–काश्तसुदा खातेदारी भूमि है जिस पर गोविन्दसिंह के जीवनकाल में एकमात्र कब्जा–काश्त गोविन्दसिंह का एवं उक्त गोविन्दसिंह की मृत्यु के पश्चात् से आज दिन तक उक्त वादग्रस्त आराजी पर एकमात्र कब्जा–काश्त बतौर खातेदार के प्रार्थीगण का रहा होने से प्राथमिक दृष्टि से पक्ष एवं सुविधा का संतुलन बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण है अगर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी वगैरह में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 02 से मिलीभगत कर प्रार्थीगण की कब्जा–काश्तसुदा आराजी को बेचाण कर बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को ऐसी अकथनीय हानि होगी जिसकी भविष्य में क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी जो कानून एवं न्याय एवं भावना के खिलाफ है, ऐसी स्थिति में जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के अप्रार्थीगण को रोका जाना आवश्यक एवं लाजमी है, ऐसी कानून की मंशा है जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के निर्णय में समय लगेगा जिस दरम्यान् अप्रार्थी संख्या 01 अप्रार्थी संख्या 02 से मिलावट कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति बदल दी जाती है एवं मौके से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो वाद का मकसद खत्म हो जावेगा जिससे वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बेचाण दस्तावेज पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 02 पंजीबद्ध नहीं करे बाबत् मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक एवं लाजमी हैं शपथ–पत्र साथ है। प्रार्थीगण की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन करते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम मौजा तोगावास, तहसील पाली की आराजी को राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बेचाण नहीं करे एवं न ही अप्रार्थी संख्या 02 के समक्ष उक्त आराजी का बेचाण दस्तावेज पेश होने पर पंजीयन करें एवं उक्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति निस्बत अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश बह प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण वाद के निर्णय तक सादिर फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयत के खसरा संख्या 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा गुंदोज हाल मौजा तोगावास तहसील पाली में आई हुई है, जो प्रार्थीगण की नहीं है। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 की है। इस कारण रेकर्ड ऑफ राईट की एन्ट्री प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को वाद अंतर्गत धारा 88,91,188 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत वाद लाने का अधिकार नहीं था इस कारण प्रस्तुत वाद किसी भी दशा में प्रार्थीगण के पक्ष में सफल होने योग्य नहीं है। 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम मौजा गुंदोज हाल तोगावास, तहसील पाली में स्थित की बात तक सही है लेकिन उक्त आराजीयत का आंवटन संवत् 2021 में आंवटन सलाहकार समिति, पाली द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज, पति, पिता गोविन्दसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम पंचायत गुंदोज का आंवटित नहीं हुई, न ही उसकी पालना में रेवेन्यू कर्मचारियों व अधिकारियों ने गोविन्दसिंह को उक्त आराजीयत का कब्जा सुपुर्द किया, न ही उसे कभी गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया। म्यूटेशन संख्या 317 आदेश दिनांक 18–09–1964 को झूठा व फर्जी भरा गया जो कूटरचित है तथा जमाबंदी संवत् 2023–2026 तक राजस्व रेकर्ड में नाम की वैधानिक एन्ट्री नहीं है, व राजस्व रेकर्ड की जो एन्ट्री है वो भी झूठी व बनावटी है। आगे से आगे जो राजस्व रेकर्ड में एन्ट्री होना बताया है वो झूठी व बनावटी है। खसरा गिरदावरी, राजस्व रेकर्ड का भाग नहीं है। इससे खातेदारी अधिकार तय नहीं होते है। क्योंकि गोविन्दसिंह को कभी उक्त आराजीयात आंवटित नहीं हुई, न ही वह कभी कब्जे काश्त में रहा। गोविन्दसिंह 18 वर्ष की उम्र में ही बतौर सिपाही राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल हो गया था तथा संपूर्ण जीवनभर राजस्थान पुलिस में सेवारत रहे तथा हैड कांस्टेबल के पद से संपूर्ण नौकरी पूर्ण कर सेवानिवृत हुए। इस कारण भू–आंवटन सलाहकार समिति, पाली द्वारा गोविन्दसिंह जो कि एक राजकीय नुमाईदा था तथा 18 वर्ष की आयु से ही राजकीय सेवा में था उसे वैधानिक रूप से भू–आंवटन नहीं की जा सकती। भू–आंवटन करने की पूर्ववर्ती शर्त यह है कि वह व्यक्ति 21 वर्ष का होना चाहिए तथा भूमिहीन होना चाहिए। साथ ही राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति राजकीय सेवा में होता है। उसको भूमिहीन नहीं माना जा सकता, न ही उसे कोई भूमि आंवटित की जा सकती है। इस कारण पैरा नंबर 2 में जो प्रविष्ठियां बताई है वे झूठी व बनावटी है। मृतक गोविन्दसिंह का उक्त प्रविष्ठियों से कोई संबन्ध नहीं हैं मृतक गोविन्दसिंह व प्रार्थीगण कभी उक्त खसरा नंबर के आराजीयत पर कभी काबिज नहीं रहे है, न ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है। बल्कि सदैव कब्जे से बाहर रहे है। मृतक गोविन्दसिंह व उनके वारिशानों के पास उक्त आराजीयत के संबन्ध में कोई निश्चयात्मक

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

सबूत नहीं है। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज कूटरचित है तथा खसरा गिरदावरी सारवान दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता हैं। स्वयं गोविन्दसिंह हैड कांस्टेबल से रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद भी उसकी लाईफ में उन्होंने कभी अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में कभी दखलंदाजी नहीं की, न ही उक्त आराजीयत को विवादित बनाते हुए कभी भी किसी ऑथेरिटी के सामने चाराजोही की। क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे 21 वर्ष की उम्र से पूर्व ही बतौर सिपाही पुलिस बेड़े के नुमाईन्दे थे, यदि कुछ कूटरचित दस्तावेज रेवेन्यू ऐजेन्सी से बन भी गया उसका कोई औचित्य नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते थे, वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त आराजीयत का आंवटन अप्रार्थी संख्या 01 को हुआ है। उक्त आंवटन आदेश की प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत है। मृतक गोविन्दसिंह प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है तो प्रार्थीगण स्वयं साक्ष्य द्वारा साबित करें, कायम मुकाम सं. पांच पूर्णतया अस्वीकार है। मृतक गोविन्दसिंह कभी उक्त आराजीयत पर काबिज नहीं रहा आंवटनसुदा आराजी खसरा नंबर 1601 के बने खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मौके पर वास्तविक व भौतिक कब्जा वक्त आंवटन से अप्रार्थी संख्या 1 का रहा है। उक्त भूमि मृतक गोविन्दसिंह को कभी आंवटित नहीं हुई तथा न ही उक्त भूमि पर उनका व उनके वारिशानों का कब्जा कभी रहा है। म्यूटेशन एन्ट्रीज फिस्कल (Fiscal) एन्ट्री है, जिससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। उपरोक्त का जवाब पूर्व में विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। शेष प्रविष्ठियां जो बताई गई है वे झूठी होने से अस्वीकार है। बिना सक्षम ऑथेरिटी के आदेश के बिना अथवा आंवटन के बिना भूलवश तथ्य की गलती से अथवा रेवेन्यू ऐजेन्सी की गलती से किसी शख्स का नाम भी आ जाता है तो उसे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इस कारण मृतक गोविन्दसिंह का नाम भी मात्र तथ्य की गलती से मिलावट करके आया है उसके पक्ष में कोई आंवटन आदेश नहीं है न ही आंवटन आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। म्यूटेशन की एन्ट्री फर्जी तौर से किसी की होने के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं होते म्यूटेशन एन्ट्रीज व खसरा गिरदावरी के दस्तावेज व एकाद बार जमाबंदी में रेवेन्यू ऐजेन्सी की गलती से नाम आने से किसी व्यक्ति को अधिकार उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण कथन गलत होने से अस्वीकार है। मौके पर वास्तविक भौतिक कब्जा अप्रार्थी संख्या 01 का है। प्रार्थीगण गोविन्दसिंह व उसके वारिशानों का कब्जा न कभी रहा है व न ही वर्तमान में है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ज्वार व ग्वार की फसल बोई गई है, जो खड़ी है, प्रार्थीगण सभी अपने दोषों का लाभ उठाना चाहते है। अप्रार्थीगण सभी शक्ति व संख्या में ज्यादा व बाहुबली होने से लाठी के बल पर जोर–जबरदस्ती अप्रार्थी संख्या 1 के सेटल पजेशन से बेदखल करना चाहते है तथा जमीन में घुसने की बदनियति रखते है। इस आशय की रिपोर्ट गुड़ा एन्दला थाना में प्रस्तुत की है जिसकी प्रति संलग्न प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 स्वतंत्र रूप से उक्त आराजीयत को बो सकता है, अवेर सकता है और उसका मनमाना वैधानिक उपयोग कर सकता है, उसे किसी भी दशा में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उसको लोकबंदी अधिकार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्वनीय क्षति ये तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के खिलाफ जाते है व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आते है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या मामला आंवटन ऑथेरिटी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त आराजी की भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन की है और दिनांक 23–06–1971 के आंवटन किया गया तत्पश्चात् लगातार कब्जा होने व आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद गैर खातेदार से खातेदार बनाया गया व तहसीलदार ने खातेदार होने का म्यूटेशन स्वीकृत किया है। राजस्व रेकर्ड की तमाम प्रविष्ठियां अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष की है। इस कारण उसके शांतिपूर्ण लगतार कब्जे काश में कोई दखलंदाजी नहीं की जा सकी है तथा किसी भी तरह से अप्रार्थी संख्या 1 को रोका–टोका नहीं जा सकता। इस कारण धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मेंटनेबल नहीं है। मात्र हैरान व परेशान करने के लिहाज से प्रार्थना पत्र व दावा लाया गया है, जिसे श्रीमान् भारी व्यय के साथ खारिज फरमावें। साथ ही श्रीमान् द्वारा दिये गये अंतरिम स्थगन आदेश को भी श्रीमान् भारी व्यय के साथ निरस्त फरमावें एवं साथ ही प्रार्थीगण का धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र भी खारिज फरमावें।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया ग्राम गुंदोज हाल मौजा तोगावास में खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जिस कृषि भूमि का आंवटन संवत् 2021 भू–आंवटन सलाहकार समिति, पाली द्वारा संवत् 2021 में प्रार्थीगण के पूर्वज पति, पिता श्री गोविंदसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गुंदोज को किया गया था। उक्त भूमि का जरिये नामां0 संख्या 317 दिनांक 18–09–1964 के द्वारा गोविंदसिंहजी को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा उक्त नामां0 का संवत् 2023 से 2026 व 2027 से 2030 की जमाबंदी में इंद्राज हुआ है। वक्त आंवटन से आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त गोविंदसिंहजी का तथा सन्

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

2015 में उनका देहान्त होने पर प्रार्थीगण, जो कि गोविंदसिंह जी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है, का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त आंवटन खसरा नंबर 1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा था तथा बाद में जमाबंदी में खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा अंकित किया गया। संवत् 2031 से 2034 की जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय गोविंदसिंह पुत्र बालूसिंह का नाम हटाकर बाबूसिंह पुत्र बालूसिंह के नाम का इन्द्राज शून्य आदेश दिनांक 23-06-1971 के द्वारा म्यूटेशन संख्या 705 के आधार पर कर दिया गया जबकि म्यूटेशन संख्या 705 खसरा नंबर 2528/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा निस्बत था। राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम गलत इंद्राज के आधार पर अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का बेचाण करने पर आमादा है जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के बेचाण करने से रोका जावे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करने का आदेश फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 16-07-18 को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 1993 डीएनजे (एस.सी.) पेज 166, 1989 आरआरडी पेज 598, 2012 (2) आरआरटी पेज 921 एच.सी., 1995 आरबीजे पेज 475, 1999 आरबीजे पेज 414, 1998 आरआरडी पेज 280(बी), 1996 आरबीजे पेज 406, 1987 आरआरडी पेज 426 की नजीरें प्रस्तुत की।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने तथ्य को छुपाया है। प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 2 में गोविंद को सरकार द्वारा भूमि का आंवटन किया गया है बताया है जबकि ऐसे आंवटन की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। लॉफुल पजेशन नहीं है इसलिए टाईटल साबित नहीं होता है। सडन एंट्रीज है जिसके आधार पर अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। प्रार्थी का कोई टाईटल नहीं है कोई राईट नहीं है। बाबू गोविंद का बड़ा भाई है दोनों ओबीसी लैण्डलेस है। बाबू पुलिस में है इसलिए नाम आया था फिर पता चला कि गोरमेंट सर्वेंट है तो हटा के गोविन्द का नाम डाल दिया। म्यूटेशन फिसकल प्रकिया है मेरे पास मेरे इंद्राज का आदेश है। अपनी जिंदगी में गोविंद ने कभी जमाबंदी प्रविष्टि को चैलेंज नहीं किया उसके बच्चों ने चैलेंज किया है। खसरा कोई रिकॉर्ड ऑफ राईट नहीं है। मैं वादग्रस्त भूमि को नहीं बेचना चाहता हूं। राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी दर्ज है तथा प्रार्थीगण का प्रकरण में एडवर्स पजेशन होने को आधार बनाया गया है जो राजस्व मामलों में एडवर्स पजेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबन्ध में आरआरटी 2007 पेज 85 वोल्यम I, आरआरटी 2003 पेज 1283 वोल्यम III, आरआरटी 2016-2017 पेज 17, आरआरटी 2014 वोल्युम 2 पेज 1301, आरआरटी 2014 वोल्यम 2 पेज 1284, आरआरटी 2013 वोल्यम I पेज 85, आरआरटी 2019 फरवरी 241, आरआरटी 2019 फर0 268, आरआरटी 2019 फर0 219 का अवलोकन करावें। प्रार्थीगण को दी गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावे।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम तोगावास की जमाबंदी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 220 में खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 दर्ज है। नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 1601 अंकित है इसमें तरमीम की हुई नहीं है। ग्राम गुदोज के नामां0 संख्या 317 में खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा गोविन्दसिंह पुत्र बालूसिंह कौम रावणा राजपूत सा0 देह गैर खातेदार के रूप में तहसीलदार के आदेश दिनांक 18-09-64 के आधार पर दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के खाता संख्या 01 में खसरा नंबर 1601 का रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा अंकित था तथा नामां0 संख्या 317 के द्वारा 13 बीघा 10 बिस्वा गोविन्दसिंह पुत्र बालूसिंह के नाम तथा नामां0 संख्या 257 दिनांक 15-12-68 के द्वारा 6 बीघा भूमि भीका पुत्र ढलीया घांची के नाम नियमन करने का इंद्राज है। जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 के खाता संख्या 756 में खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि गोविंदसिंह वल्द बालूसिंह रा0राजपूत सा0 देह के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। नामां0 संख्या 705 के द्वारा खसरा नंबर 2528/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि उप जिलाधीश, पाली के आदेश कमांक 587 दिनांक 22-06-71 के द्वारा दस साला आंवटन के आधार पर बाबूसिंह पुत्र श्री बालूसिंह रावणा राजपूत सा0 गुंदोज गैर खातेदार दर्ज है। इस नामां0 के कॉलम संख्या 5 में राज्य सरकार अंकित है। जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 के खाता संख्या 907 में बाबूसिंह पुत्र बालूसिंह रावणा राजपूत सा0 देह ऐलोटी संवत् 2028 से 2037 गैर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार इस प्रकरण में एक ही भूमि का दो बार आंवटन होना उपलब्ध करवाये गये रेकर्ड से प्रथम दृष्ट्या जाहिर होता है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर हो कि प्रार्थीगण के पिता के नाम आंवटित भूमि का आंवटन निरस्त किया गया हो। नामां0 संख्या 705 के द्वारा खसरा नंबर **2528/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा** भूमि उप जिलाधीश, पाली के आदेश कमांक 587 दिनांक 22-06-71

सहा... कलेक्टर
... (राज.)

Scanned by CamScanner

के द्वारा दस साला आंवटन के आधार पर बाबूसिंह पुत्र श्री बालूसिंह रावणा राजपूत सा0 गुंदोज गैर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश की प्रमाणित प्रति पर खसरा नंबर 573 व 597 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा को काट कर खसरा नंबर 1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा अंकित किया गया है जिस कटिंग को सत्यापित किया हुआ नहीं है। अप्रार्थी का आंवटन संदेह से परे नहीं है क्योंकि जब जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के खाता संख्या 01 में खसरा नंबर 1601 का रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा अंकित था तथा नामां0 संख्या 317 के द्वारा 13 बीघा 10 बिस्वा गोविन्दसिंह पुत्र बालूसिंह के नाम तथा नामां0 संख्या 257 दिनांक 15–12–68 के द्वारा 6 बीघा भूमि भीका पुत्र ढलीया घांची के नाम नियमन करने का इंद्राज है तब अप्रार्थी को वर्ष 1971 में आंवटन के समय खसरा नंबर 1601 की भूमि अस्तित्व में नहीं रह सकती है। वादग्रस्त भूमि पहले प्रार्थीगण के पूर्वज पति, पिता श्री गोविन्दसिंह को वर्ष 1964 आंवटित हुई तथा अप्रार्थी संख्या 1 को 1971 में आंवटित हुई है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टी के आधार पर वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण करता है तो प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होने की संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कास्त प्रार्थीगण का होना बता रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 01 अपने जवाब में कब्जा कास्त अपना होना बता रहा है। मौके पर किस पक्षकार का कब्जा कास्त है इसका निर्धारण बाद ट्रायल बयानात इत्यादि लिये जाने के पश्चात् ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। उभयपक्ष के बीच विवाद बढ़ने से रोकने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि का बेचाण/हस्तान्तरण करने से रोका जावे तथा रेकर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम तोगावास के खसरा नंबर 2558/1601 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचाण व हस्तान्तरण किसी अन्य को नहीं करें तथा अप्रार्थीगण मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति को बनाई रखें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी * पाली *

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner